सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में से अनुदान वितरण

सार्वभौमिक सेवा दायित्व की पूर्ति पर होने वाली भाुद्व लागत के लिए वितीय समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जन सुविधाओं के साथ–साथ घरेल टेलीफोन पगदान करना भी भाामिल है। सार्वभौमिक सेवा प्रदान का चयन बोली की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। चयनित बोलीदाता उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत दावों की छानबीन के पश्चात सार्वभौमिक सेवाा दायित्व निधि कें से सहायता लेने के लिए पात्र होने हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक इन दावों की सहायता तथा उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण तथा जॉच करने के लिए भी उतरदायी हैं।

संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा झारखंड में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के सम्पर्क अधिकारी हैं :– *श्री जगदीश प्रसाद* *संचार लेखाधिकारी* *संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय* *झारखंड परिमंडल* *टेलिफोन भवन, 3 रा तल्ला,* *अलबर्ट एक्का चौक,* *रॉची – 834 001.* फोन नम्बर : 0651 – 2210541 फैक्स नम्बर : 0651 – 2210283

सार्वभौमिक सेवा के विषय कें अधिक जानकारी के लिए कृप्या साईट www.dotindia.com देखें।

1. सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबधित

सार्वभौमिक सेव समर्पित नीति दिनांक 01.4.2002 से चालू हुई भारतीय तार (संशोधित) अधिनियम 2003 जिससे युतिवर्सल सर्विस आबलिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) को स्थायी स्टेट्स मिला। इसे दिसम्बर 2003 मके संसद के दोनो सदनों द्वारा पारित किया गया था। 1 अप्रैल, 2002 से इसे प्रभावी मानकर, इस फंड को विशेष रूप से युनिवर्सल सर्विस आबलिगेशन के उपयोग किया जाता है । इस निधि में बिना संसदीय स्वीकृति के और राशि जमा नहीं की जा सकती। इस निधि के सदोपयोग के लिए दिनांक 26.03.2004 को नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संचालन सार्वभौमिक सेवा निधि, प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक प्रधान को सार्वभौमिक सेवा दायित्व लागू करने की प्रक्रिया को निर्मित करने एवं सार्वभैमिक सेवा दायित्व लिधि को वितरित करने के पूरे अधिकार प्राप्त है। उनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के संबद्व कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

सार्वभौमिक सेवा कर वर्तमान में शुद्व वेल्यू एडिड सेवा प्रदाताओं जैसे कि इन्टरनेट, ध्वनि मेल, इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा प्रदाताओं के समायोजित कुल राजस्व का 5% है। नियमानुसार निम्नलिखित गतिविधियॉ यू.एस.ओ. एफ. द्वारा समर्थित हैं।

सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना सेवाओं का प्रावधानः

स्ट्रीम 1

क. 1991 की जनगणना के अनुसार दर्ज गावों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) का संचालन तथा रख–रखाव तथा 2001 की जनगनणा के अनुसार दर्ज अतिक्रमण राजस्व गांवो में वी.पी.टी. स्थापित करना।

ख. प्रत्येक गांव में एक वी.पी.टी. प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवो में अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन (आर. सी. पी.) प्रदान करना।

ग. दिनांक 01.04.2002 से पहले एम.ए.आर.आर के आधार पर लगाए गए वी.पी.टी. बदलना।

घ. 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवो में फैक्स, ई–मेल इन्टरनेट के साथ–साथ ध्वनि टेलीफोन सहित डाटा एपलीकेशन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन को दूरसंचार तथा सूचना केन्द्र में उन्नत करना।

ड. ब्लाक पुख्यालयों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गॉवो में टेली–शिक्षा तथा टेली सेवाओं सहित अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उच्च स्पीड पी.टी.आई.सी. की स्थापना।

नोट : स्ट्रीम 1 के मदद क से लेकर ड. तक वर्णित गतिविधियों के लिए कुल लागत तक पहुँचने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एस.डी.सी.ए. को एक यूनिट माना जाएगा।

स्ट्रीम 2 – ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन प्रदान करना

1 अप्रैल, 2002 से पहले लगाए गए घरेलू डी.ई.एल के मामलों में ग्रामीण उपभांगताओं से वासविक किराये और भारत में ट्राई द्वारा निर्धारित किराये के अन्तर की राशि उन्हें एस समय तक वापस की जाएगी जब तक समय–समय पर ट्राई द्वारा निर्धारित एक्सेस डेफिसिट प्रभार इस अन्तर को मानेगा।

01 अप्रैल, 2002 के बाद लगाए गए घरेलू डी.ई. एल कनेक्शन में वास्तविक शुद्ध लागत के निर्धारण में पूंजी वसूली प्रचालन व्यय और राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा।

नोट : जब तक केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न किया जाए, स्ट्रीम 2 की मददृ (ब) में विनिर्दिष्ट कार्यो की कुल लागत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एल.डी.सी.ए. को एक एकक के रूप में गिना जाएगा।

2. संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय का कार्य

सव्रभौमिक सेवा समर्थन नीति के क्रियान्वयन में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त वितीय समर्थन सम्मिलित हैं जिससे विनिर्दिश्ट सार्वभौमिक सेवा दायित्व प्रदान काने की वास्तविक लागत को प्राप्त किया जा सके। इसकें जनमानस तक पहुँच एवं ग्रामीण व सुदूर क्षेत्र में घरेलू दूरभाश दोनों प्रावधान भाामिल हैं। सार्वभौमिक सेवा प्रदाता का चुनाव बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सफल बोलीकर्ता

उसके द्वारा जमा कराए गए विस्तृत दावों की छानबीन के बाद सार्वभौमिक सेवा दायित्व से प्राप्त समर्थन का हकदार हैं।

संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक उतरदायी हैं –

1. दावों के सत्यापन व भुगतान की अदायगी के लिए
2. दावों की सत्यता निर्धारित करने के लिए निरीक्षण एवं जांच
3. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से संबधित सभी लेनदेन का उचित लेखाकरण
4. संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, सार्वभौमिक सेवा निधि प्रशासक को महानिदेशालय द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार निर्धारितप्रपत्र में सेवा प्रदाता से प्राप्त दावों, दावों का समायोजन, फंड की मांग, अनुदान के वितरण तथा जॉच स्तर से संबधित रिर्पोट एवं रिटर्न प्रस्तुत करता है।

3. संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय को स्थानांतरित किए गए कार्य

पत्र क्रमांक 30–15/2002–यु.एस.एफ (भौलुम 3) दिनांक 27.02..2006 के द्वारा यु.एस.एफ. से संबंधित कार्य 31.03.2006 को समाप्त तिमाही के दावों से संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, झारखंड में भुारू किए गए। इसके पहले यु.एस.एफ. से संबंधित कार्य संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, बिहार के द्वारा किया जाता था।

झारखंड में अनुदान सहायता

झारखंड में इस समय संयुक्त नियंत्रक के निम्न कार्यालय, जो नीचे दिए गए विभिन्न अनुबंधों के अधीन से अनुदान प्रदान कर रहें हैं, जो इस प्रकार हैं –

क.संख्या	यू.एस.पी. का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	विशय–जिसके लिए अनुदान वितरण किया जाता हैं।	संबंधित एस.एस.ए व एस.डी.सी.ए
1	बी.एस.एन. एल.	न.30–101/2002–यू.एस. एफ. दिनांक 28.03.03	पहले से स्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के कियान्वयन एवं अनुरक्षण	सभी
2	बी.एस.एन. एल.	न.30–107/2002–यू.एस. एफ. दिनांक 25.09.03	दिनांक 01.07.03 के प चात् पुनः स्थापित किए गए एम.ए. आर. आर. ग्रामीण दूरभाश संख्या	सभी
3	बी.एस.एन. एल.	न.30–107/2002–यू.एस. एफ. दिनांक 19.03.04	एम.ए. आर. आर. ग्रामीण टेलीफोन का पुनर्स्थापन,(वी. पी.टी. जो 01.04.02 एवं 30. 06.03के दौरान लगाए गए।)	सभी
4	बी.एस.एन. एल.	न.30–133/2004–यू.एस. एफ. दिनांक 30.09.04	ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन नम्बरों का प्रावधान जिन गांवों की जनसंख्या 2000 से ज्यादा हैं। (1991 की जनगणना के अनुसार)	एस. एस. ए. द्वारा लगाए जाने वाले आ. सी.पी. की संख्या रांची – 134 डालटेनगंज – 159 दूमका – 118

5	बी.एस.एन. एल.	न.30—145 / 2004—यू.एस. एफ. दिनांक 03.05.05	उन एस.डी.सी.ए. ग्रामीण घरेलू टेलीफोन का प्रावधान जो (01.04.02 से 31.03.05 के दौरान स्थापित किए गए)	सभी
6	बी.एस.एन. एल.	न.30—140 / 2004—यू.एस. एफ. दिनांक 15.03.05	उन एस.डी.सी.ए. ग्रामीण घरेलू टेलीफोन का प्रावधान जो 31.03.05 के बाद स्थापित किए गए	सभी
7	बी.एस.एन. एल.	न.30—130 / 2004—यू.एस. एफ. दिनांक 10.11.04	उन राजस्व गांवों में नये वी. पी.टी. लगाने का प्रावधान है जहॉ 1991 की जनगणना के अनुसार वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध नहीं है।	डालटेनगंज — 186 दूमका — 470 हजारीबाग — 643 जम ोदपुर — 158 रॉची — 237